<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>
<u>30/5/2024</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता जोनल कार्यालय ने एसके शाहजहाँ, एसके अलोमगीर, शिब प्रसाद हाजरा और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत माननीय विशेष न्यायाधीश, सीबीआई- I, विचार भवन, कोलकाता के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है।

प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा आईपीसी अधिनियम, 1860 और शस्त्र अधिनियम, 1959 की विभिन्न धाराओं के तहत शाहजहाँ शेख और अन्य के खिलाफ दर्ज 13 एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने संगठित अपराध में शामिल होकर आतंक का माहौल बनाया है। चोट पहुंचाने की धमकी, हत्या, हत्या का प्रयास, जबरन वसूली आदि और आम जनता की जमीन भी हड़प ली और अवैध मौद्रिक लाभ प्राप्त किए।

प्रवर्तन निदेशालय की जांच से पता चला है कि एसके शाहजहाँ ने जमीन हड़पने, अवैध मछली पालन/व्यापार, ईंट के खेतों को हथियाने, ठेकों का कार्टेलाइजेशन, अवैध करों/लेवी का संग्रह, भूमि सौदों पर कमीशन आदि के इर्द-गिर्द घूमते हुए एक आपराधिक साम्राज्य बनाया था।

ईडी द्वारा जांच के दौरान, पीएमएलए 2002 की धारा 50 के तहत स्थानीय किसानों, आदिवासियों, मछली व्यापारियों, एजेंटों, निर्यातकों, भूमि मालिकों, ठेकेदारों आदि सहित विभिन्न व्यक्तियों के बयान दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा, पीएमएलए की धारा 17 के तहत तलाशी ली गई, जिसमें 3 कारें यानी एसके शाहजहाँ और उनके भाई एसके अलोमगीर की एक महिंद्रा थार, स्कॉर्पियो- नई और जीप कंपास जब्त कर ली गई।

इससे पहले, प्रवर्तन निदेशालय ने एसके शाहजहाँ और अन्य की 27.08 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियां दिनांक 05/03/2024 और 16/05/2024 के दो अनंतिम कुर्की आदेशों के माध्यम से कुर्क की थीं। जैसा कि पीएमएलए, 2002 के तहत की गई जांच के दौरान पता चला, उक्त व्यक्तियों द्वारा आपराधिक गतिविधियों से 261.41 करोड़ रुपये मूल्य की अपराध आय प्राप्त की गई।

एसके शाहजहाँ, उनके भाई एसके अलोमगीर और उनके दो साथी शिब प्रसाद हाजरा और दीदार बोक्श मोल्ला नाम के चार लोगों को ईडी ने गिरफ्तार किया था और ये सभी 4 व्यक्ति वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। गिरफ्तारी के बाद ईडी ने मौजूदा पीसी दाखिल की है।

आगे की जांच जारी है।